

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत अजय कुमार पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी वार्ड नं० 06 मुकद्दमा विनोद कुमार व अन्य सं० 1511

अजय कुमार बनाम देवेन्द्र कुमार व अन्य

किश्म मुकद्दमा पंचायत मतदान झगडा नं० 20/20.06.19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2019	<p>यह अपील अपीलांट द्वारा जरिये अभिभाषक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) (पंचायत) टिब्बी के आदेश के विरुद्ध पेश की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे।</p> <p>अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि देवेन्द्र कुमार पुत्र रामजीलाल ने अजय कुमार पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी वार्ड नं० 06 जिसका ग्राम पंचायत वोटर्स सं० 225 पर नाम दर्ज था, के बारे में इन आधारों पर आक्षेप करते हुए कि अपीलांट 6 सीडीआर ग्राम पंचायत सहारणी में निवास कर रहा है, इसको आधार बनाते हुए दिनांक 29.5.19 को राज० पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के तहत चुनौती दी गयी। इस प्रकरण में दिनांक 07.06.19 को तारीख सुनवाई हेतु मुकद्दमा करते हुए दिनांक 30.05.19 को अपीलांट के विरुद्ध सूचना बाबत नोटिस जारी होने के बाद बिना सुनवाई के अपीलांट के विरुद्ध दावा स्वीकार लिखते हुए रैस्पोंडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो निम्न आधारों पर काबिल खारिज है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यह कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) (पंचायत) टिब्बी ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब की अनदेखी कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। 2. यह कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) (पंचायत) टिब्बी ने रैस्पोंड सं० 2 द्वारा दावा स्वीकार लिखते हुए आदेश पारित कर दिया है जिसमें कोई आधार नहीं बताया गया है। रैस्पोंड सं० 01 का प्रार्थना पत्र क्यों स्वीकार किया गया है। 3. यह कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) (पंचायत) टिब्बी ने अपने आदेश में मात्र दावा स्वीकार लिख गया है, उसे भी कब पारित किया गया है, कोई दिनांक अंकित नहीं की है। 4. यह कि दिनांक 07.6.19 को सहायक निर्वाचन के रूप में तहसीलदार द्वारा सूचना का सम्मन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) (पंचायत) टिब्बी को प्रेषित किया गया है व इसी दिनांक को बिना किसी अधिकारिता के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) (पंचायत) टिब्बी की अधिकारिता का दुरुपयोग करते हुए विनोद कुमार के प्रभाव में व उससे मिलकर आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। <p>यह कि पूर्व में अपीलांट के परिवार की लीलावती वार्ड नं० 06 की मैम्बर थी को संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा देवेन्द्र के भाई की पत्नि श्रीमति प्रियंका सरपंच ग्राम पंचायत कुलचन्द्र को सस्पेंड करने पर लीलावती को अस्थायी रूप से चार्ज दिया गया था, इस रजिशावश देवेन्द्र कुमार ने मिथ्या आधारों पर प्रार्थना प्रस्तुत किया है, जो काबिल खारिजी है।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> <p>20/20.06.19</p>



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अह जो इस हुकम की तान में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

6. यह कि वर्तमान में लीलावती के राजकीय सेवा में चले जाने के कारण उक्त वार्ड के मैम्बर का पद रिक्त होने व दिनांक 30.6.19 को वार्ड सदस्य का चुनाव होने के कारण चुनाव में सरपंच श्रीमती प्रियंका के परिवार के लोगों द्वारा लाभ लेने के उद्देश्य से मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के कारण काबिल खारिजी है।

7. यह कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) (पंचायत) टिब्बी ने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए सहायक निर्वाचन (तहसीलदार) ने यह भी नहीं देखा कि जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में उनके द्वारा हटाने जा रहे हैं, उनके कही भी अन्यत्र वोट नही होने की सूरत में संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का विधि विरुद्ध रूप से हनन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिजी है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र में बी0एल0ओ0 व पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में भी पैतृक घर वार्ड नं0 06 कुलचन्द्र बताया गया है, पहचान व निवास दस्तावेज भी कुलचन्द्र ग्राम पंचायत के बताते हुए रिपोर्ट की गई है, इस कारण की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो काबिल खारिजी है।

9. यह कि बी0एल0ओ0 व पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चेताराम से लेकर सुनवाई हेतु प्रस्तुत है, इसके बाद फर्जी रिपोर्ट करते हुए इनका वार्ड नं0 06 में निवास नहीं पाया गया, बाद में अपीलांट के विरुद्ध निर्णय करने की मंशा से लिखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो काबिल निरस्ती है।

10. यह कि अपीलांट के सम्मन में भी अपीलांट का पता वार्ड नं0 06, कुलचन्द्र तहसील टिब्बी लिखा गया है, इस तथ्य की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो काबिल खारिजी के है।
बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क किया कि रेस्पोंट सं0 02 द्वारा अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।
राज्य पक्ष रेस्पोंट सं0 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री सोहनलाल सहारण द्वारा बहस में तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर एवं उचित रिपोर्ट के आधार पर दावा स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।
बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील के संलग्न Form II के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट का पैतृक घर कुलचन्द्र पंचायत के वार्ड नं0 6 में है तथा आवश्यक दस्तावेज भी कुलचन्द्र ग्राम पंचायत के हैं। ये अभी 6 सीडीआर सहारणी पंचायत क्षेत्र में नवनिर्मित मकान में निवास कर रहे हैं। चक 6 सीडीआर ग्राम पंचायत सहारणी में स्थित है, जबकि अपीलांट ग्राम पंचायत कुलचन्द्र में अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहता है, जो विधिवत नहीं है।
यह भी उल्लेखनीय है कि राज0 पंचायती राज (चुनाव) नियम 1994 की धारा 21ए के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना जारी होने के बाद एवं चुनाव समाप्ति तक मतदाता सूची में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। धारा 21ए निम्नानुसार है—

“21-A. Restriction of correction in electoral rolls- No amendment, transposition or deletion of any entry shall be made and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll shall be given under rule 20 and 21 after the issue of the public notice under rule 23 or 58, as the case may be, and until completion of the process of correction of the electoral rolls.”



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
------------------------	---	--

निवारण की लोक सूचना श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)(कलक्टर) हनुमानगढ द्वारा दिनांक 17.06.2019 को राज0 पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 23 के सपठित नियम 55 के अंतर्गत जारी की जा चुकी है। इस प्रकार धारा 21ए के प्रावधानानुसार मतदाता सूची में लोक सूचना जारी होने के बाद कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

चूंकि अपीलांट के पहचान पत्र, निवास आदि के दस्तावेज ग्राम पंचायत कुलचन्द्र के हैं तथा पटवारी/बीएलओ सं0 133 की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट का पैतृक घर कुलचन्द्र आबादी क्षेत्र में है। धारा 21ए के तहत वर्तमान में कोई कार्यवाही संभव नहीं है, परन्तु अपीलांट के पैतृक घर व अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत कुलचन्द्र के होने के कारण अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) टिब्बी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष को साक्ष्य/सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) टिब्बी को जरिये पत्र भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
अपर जिला कलक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
हनुमानगढ़
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official